संख्या-63/2022/2155973/435/12-5-2022-सा0-11/2022

प्रेषक,

डा० देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उ0प्र0, कृषि भवन,
लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 **लखनऊः दिनांकः 22 जुलाई, 2022**

विषयः-बुन्देलखण्ड के सात जनपदों के सभी विकास खण्डों में प्राकृतिक खेती की योजना (वर्ष 2022-23 से 2026-27) के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-भू0सं0/बाढ़ो०यो०/13/बुन्देलखण्ड प्रा०खे०/2022-23, दिनांक 23.04.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने यह कहने का निदेश हुआ है कि बुन्देलखण्ड के सात जनपदों के सभी विकास खण्डों में प्राकृतिक खेती की योजना (वर्ष 2022-23 से 2026-27) के निम्नानुसार क्रियान्वयन हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

1- <u>योजना के उद्देश्य</u> -

(i) मृदा स्वास्थ्य में सुधार करने के उददेश्य से जीवांश कार्बन को बढ़ाना।
(ii) पर्यावरण संतुलन को कायम रखते हुए कम लागत वाली कृषि तकनीकी अपनाकर खेती करना।
(iii) रसायन-कीटनाशक-पेस्टीसाइड मुक्त कृषि उत्पादों का उत्पादन।
(iv) कृषि को लाभकारी बनाना एवं कृषकों के आर्थिक स्तर में सुधार कर खेती को सम्मानजनक बनाना।
(v) प्राकृतिक खेती अपनाकर कृषि उत्पादन को स्थायित्व प्रदान करना।
(vi) कृषि निवेशों के मामले में किसान को आत्मनिर्भर बनाना।

2- <u>योजना का कार्यक्षेत्र</u> - बुन्देलखण्ड में कुल सात जनपद क्रमशः झांसी, ललितपुर, जालौन, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर एवं महोबा है। इन सात जनपद में कुल 47 विकास खण्ड हैं। इन सभी 47 विकास खण्डों में प्राकृतिक खेती संचालित करने की पांच वर्षीय कार्य योजना चरणबद्ध ढंग से वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक प्रति विकास खण्ड 500 हेक्टेयर क्षेत्रफल में किया जायेगा।

3- <u>योजना का कार्यकाल</u> - योजना का क्रियान्वयन वर्ष 2022-23 से प्रारम्भ होकर वर्ष 2026-27 तक की जायेगी, जिसमें सभी 47 विकास खण्डों में प्रथम चरण (वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक) में 235 क्लस्टर (11750 हे० क्षेत्रफल) एवं द्वितीय चरण (वर्ष 2023-24 से 2026-27 तक) में 235

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्लस्टर 11750 हे० क्षेत्रफल) इस प्रकार पांच वर्षो में कुल मिलाकर 23500 हे० क्षेत्रफल में योजना संचालित की जायेगी।

4- <u>योजना का क्रियान्वयन</u> - योजना का क्रियान्वयन क्लस्टर आधारित,चार वर्षीय कार्यक्रम एवं भारत की सहभागिता जैविक प्रतिभूति प्रणाली (पी0जी0एस0-इण्डिया) के दिशा निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।विभिन्न घटकों के लिये सहायता केवल कलस्टर आधार पर आवंटित की जायेगी।पी0जी0एस0 प्रमाणीकरण के तहत कलस्टर एप्रोच के माध्यम से प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिये 04 साल की अवधि के लिये सहायता प्रदान की जायेगी।

(i) जनपद स्तर पर कार्यों के निष्पादन हेतु उप कृषि निदेशक नोडल अधिकारी होंगे।

(ii) मण्डल स्तर पर कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण हेतु मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक उत्तरदायी होंगे।

(iii) राज्य स्तर पर कार्यक्रम का संचालन कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश के मार्गदर्शन में अपर कृषि निदेशक (चावल) के दिशा निर्देश में संयुक्त कृषि निदेशक(बाढ़ो0यो0), कृषि भवन, लखनऊ के पर्यवेक्षण में किया जायेगा, जो योजना के निर्देशानुसार कार्यक्रमों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करायेंगे।

5- <u>कृषकों के चयन हेतु पात्रता एवं क्लस्टर का गठन</u> -प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण में प्राकृतिक खेती की योजना के क्रियान्वयन हेतु बुन्देलखण्ड के सभी 47 विकास खण्डों में23500 हे0 क्षेत्रफल के कुल 470 क्लस्टरों का गठन किया जायेगा। प्रत्येक क्लस्टर 50 हेक्टेयर क्षेत्रफल का होगा। इस प्रकार बुन्देलखण्ड क्षेत्र के समस्त विकासखण्डों में चरणबद्धरूप से प्रत्येक विकासखण्ड में योजनान्तर्गत कुल 500 हेक्टेयर क्षेत्रफल का चयन क्रियान्वयन हेतु किया जायेगा एवं उपरोक्त चयनित 500 हेक्टेयर क्षेत्रफल के अन्तर्गत 10 क्लस्टर (प्रत्येक 50 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर एक) बनाये जायेगें। योजना के अन्तर्गत कृषकों का चयन उनकी इच्छुकता के आधार पर किया जायेगा। योजना अन्तर्गत वही कृषक पात्र होंगे जो कि गोवंश पालते हों अथवा निकटतम स्थापित गोशाला से गोवंश अधिग्रहण हेतु इच्छुक हों।

उपरोक्त इच्छुक कृषकों को गोशाला से गोवंश अधिग्रहण/गोद लेने के विषयगत संबंधित विभाग द्वारा यथा पशुधन विभाग द्वारा गोवंश संरक्षण हेतु अनुमन्य अनुदान भी तदनुसार उपलब्ध कराया जायेगा।

6- <u>क्षमता विकास, हैण्डहोल्डिंग, डाटा प्रबंधन, अभिलेखीकरण व अनुश्रवण हेतु को-ऑर्डिनेशन कमेटी का गठन</u> - कलस्टर के हैण्डहोल्डिंग, क्षमता विकास, अभिलेखीकरण तथा डाटा प्रबंधन हेतु को-आर्डिनेशन कमेटी का गठन किया जायेगा। इस हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित की जायेगी, जिसमें उप कृषि निदेशक-सदस्य सचिव, जिला उद्यान अधिकारी, जिला गन्ना अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, कृषि विज्ञान केन्द्र के अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी एवं सिंचाई विभाग के अधिकारी सदस्य होगें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

समिति द्वारा माहवार बैठक का आयोजन किया जायेगा, जिसमें योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा की जायेगी। कलस्टर में बोयो-इनपुट-वितरण, कलस्टर हेतु माइक्रो एक्शन प्लान की स्वीकृति तथा अन्य महत्वपूर्ण सुझाव दिये जाने का दायित्व जिला स्तरीय समिति का होगा।

इसी प्रकार मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में योजना का अनुश्रवण एवं समीक्षा हेतु समिति गठित की जायेगी, जिसमें मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक, सदस्य सचिव होगें एवं पशुपालन, गन्ना एवं उद्यान विभाग के मण्डल स्तरीय अधिकारी सदस्य होंगे। निदेशालय स्तर पर योजना की समीक्षा कृषि निदेशक द्वारा की जायेगी। शासन स्तर पर योजना का अनुश्रवण एवं समीक्षा अपर मुख्य सचिव, कृषि की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जायेगी, जिसमें कृषि निदेशक सदस्य सचिव होंगे। समिति के अन्य सदस्यों में कृषि विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि, निदेशक पशुपालन, निदेशक उद्यान होंगे।

7- <u>कलस्टर में योजना के क्रियान्वयन हेतु संगठनात्मक ढांचा</u>-

एक ही पंचायत अथवा अधिकतम दो ग्राम पंचायतों को सम्मिलित कर 50 हे0 का एक क्लस्टर गठित किया जायेगा। इस प्रकार ब्लाक स्तर पर बनाये गये 10 क्लस्टरों में आच्छादित 500 हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जायेगा। न्याय पंचायत स्तर पर तैनात प्राविधिक सहायक (ग्रुप-सी) कलस्टर के प्रभारी होंगे। इसी प्रकार विकास खण्ड स्तर पर योजना के अनुश्रवण हेतु सहायक विकास अधिकारी (कृषि) की अध्यक्षता में ब्लाक स्तरीय को-आर्डिनेशन कमेटी का गठन किया जायेगा, जो कि ब्लाक स्तरीय को-आर्डिनेशन कमेटी के भी प्रभारी होंगे। स्थानीय स्तर पर विभाग में कार्यरत ए0टी0एम0, बी0टी0एम0, प्राविधिक सहायक एवं विकास खण्ड स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों को प्राकृतिक खेती विषय पर क्षमता विकास कर प्रशिक्षित किया जायेगा।

उपरोक्त योजनान्तर्गत क्लस्टर स्तर पर कृषकों के साथ संवाद कर उनकी क्षमता संवर्द्धन एवं उपरोक्त योजनान्तर्गत विभिन्न क्रियान्वित होने वाली गतिविधियों के विषयगत कार्यों के समुचित संयोजन के लिये उक्त को-आर्डिनेशन कमेटी में संबंधित कलस्टर हेतु यथा संभव स्थानीय कृषकों में से समिति के अन्तर्गत कलस्टर को-आर्डिनेटर-चैम्पियन फार्मर एवं कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन के रूप में कृषकों को कमेटी का सदस्य बनाया जायेगा। इस प्रकार विकास खण्ड स्तर पर योजनान्तर्गत चिन्हित कुल 500 हे0 क्षेत्रफल के क्रियान्वयन हेतु 10 कोआर्डिनेटर चैंपियन फार्मर तथा 10 कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन कमेटी में नामित किये जायेगें। प्रत्येक को-आर्डिनेटर चैंपियन फार्मर तथा कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन स्वयं से सम्बधित 50 हेक्टेयर क्षेत्रफल के चिन्हित क्लस्टर हेतु योजना के क्रियान्वयन विषयक सम्पादित होने वाली गतिविधियों हेतु सक्रिय भूमिका निभायेगें।

इस प्रकार विकासखण्ड स्तर पर योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी कमेटी एक प्रकार से माइक्रो मैनेजमेंट के सिद्धांत पर चैम्पियन फार्मर-कलस्टर को-आर्डिनेटर से लेकर कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन कृषक तक किसानों की एक सक्रिय श्रृंखला के माध्यम से अपने कलस्टर में निर्धारित क्षेत्र में योजना के समस्त घटकों और सुसंगत गतिविधियों के भली-भाति प्रगति सुनिश्चित किये जाने के विषयगत संगठनात्मक रूप से योगदान करेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

उपरोक्त संगठनात्मक कार्य करने के लिये दक्ष एवं परंपरागत कृषि प्रक्रिया के विषयगत जानकार तथा उपरोक्त प्राकृतिक खेती पद्धति में कृषि करने विषयक विशिष्ट ज्ञान एवं कौशल रखने वाले स्थानीय कृषकों को समिति का सदस्य बनाये जाने के विषयगत वरीयता सुनिश्चित की जायेगी। स्वयं सहायता समूह/एफ०पी०ओ० का भी सहयोग लिया जा सकता है।

8- <u>ब्लाक स्तरीय को-आर्डिनेशन कमेटी में नामित कृषकों के संगठनात्मक ढांचे का स्वरूप-</u>

क्र० सं०	नामित सदस्य	नामांकन वरीयता मानदण्ड	अपेक्षित दायित्व
1	क्लस्टर को-आर्डिनेटर/ चैम्पियन कृषक	• केन्द्र अथवा राज्य से कृषि क्षेत्र में पुरष्कृत कृषक जो कि प्राकृतिक खेती में रूचि रखता हो। • जो कृषक न्यूनतम जैविक /प्राकृतिक विधा से खेती कर रहे हों। • प्राकृतिक खेती तथा जैविक प्रमाणीकरण (पी0जी0एस0 एवं थर्ड पार्टी) में अनुभव प्राप्त कृषि स्नातक।	• स्थानीय स्तर पर कृषकों को प्रशिक्षण प्रदान करना तथा जागरूक करना। • कलस्टर स्तर पर योजना का अनुश्रवण एवं समीक्षा में सहयोग करना। • कलस्टर के अन्तर्गत इन्डीजनियस नालेज सिस्टम (स्वदेशी ज्ञान प्रणाली), जर्म प्लाज्म संरक्षण तथा डिमान्सटरेशन प्लाट्स (फील्ड प्रदर्शन) के क्रियाकलापों को क्रियान्वित करना।
2	कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन कृषक	• क्लस्टर के कृषक जो कि अपने प्रक्षेत्र पर फील्ड प्रदर्शन, जर्म प्लाज्म संरक्षण तथा स्वदेशी ज्ञान प्रणाली के प्रदर्शन योजनान्तर्गत करा रहा हो। • प्राकृतिक खेती की विधा में कलस्टर के भिज्ञ कृषक।	• आवेदन के संग्रहण और प्रसंस्करण की सुविधा के लिये पारदर्शी किसान सेवा पोर्टल में किसान का पंजीकरण, जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना और गतिविधियों का अभिलेखीकरण। • कृषि विभाग के कर्मचारियों/अधिकारियों और कृषक समुदाय के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करते हुये राज्य सरकार, केन्द्र प्रायोजित और विभाग की अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन को सुगम बनाना। • पारदर्शी किसान सेवा पोर्टल पंजीकरण, डेटा अपडेशन आदि के लिये किसानों को सुविधा प्रदान करना।
नोट- यथासंभव को-आर्डिनेशन कमेटी में नामित होने वाले कृषकों हेतु वर्णित वरीयता मानदण्ड को अपनाया जायेगा तथापि वरीयता मानदण्ड में वर्णित कृषकों की श्रेणी में इच्छुक कृषकों की उपलब्धतता न होने की दशा में उपरोक्त कार्यक्रम के प्रति समर्पित रूप से योगदान देने वाले सक्रिय एवं जानकार स्थानीय कृषकों को नामित किये जाने के विषयगत प्रस्ताव के संदर्भ में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा विचार कर तदनुसार नामित किया जा सकेगा। क्लस्टर हेतु तदनुसार उत्प्रेरक की भूमिका निभाने वाले उक्त चैम्पियन कृषक/ कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन कृषक यथा सम्भव उसी ग्राम पंचायत के होने चाहिए जिनमें क्लस्टर चिन्हांकित हैं और स्वयं उनके द्वारा अनिवार्य रूप से प्राकृतिक खेती की विधा को अपनाया जा रहा है।			

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

9- **<u>क्लस्टर को-आर्डिनेटर/कम्यूनिटी रिर्सोस पर्सन हेतु प्रोत्साहन-</u>** उपरोक्त को-आर्डिनेशन कमेटी द्वारा कलस्टर को-आर्डिनेटर एवं कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन के माध्यम से किये जाने वाले कार्यकलापों हेतु योजनान्तर्गत सम्बधित प्रशासनिक मद में प्राविधानित धनराशि के अनुरूप वार्षिक रूप से रू0 36000/- को-आर्डिनेटर द्वारा सम्पादित कार्यों के विषयगत प्रोत्साहन मानदेय के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा और इसी प्रकार कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन के स्तर से योजना के क्रियान्वयन हेतु किये जा रहे कार्यकलापों के लिये रू0 30000/- की धनराशि वर्ष में प्रोत्साहन मानदेय के रूप में प्रशासनिक मद की धनराशि से अनुमन्य रहेगी।

उक्तानुसार प्राविधानित प्रोत्साहन मद की धनराशि को यथासम्भव त्रैमासिक रूप से समानुपातिक अधिकतम देयता (यथा चैम्पियन फार्मर हेतु रू0 **36000/4=9000.00** त्रैमासिक; कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन हेतु रू0 30000/4=7500.00 त्रैमासिक अधिकतम) अनुमन्य रहेगी जोकि उपरोक्त कृषकों के द्वारा उक्त त्रैमासिक में योजनान्तर्गत उनके द्वारा अपेक्षित गतिविधियों के क्रियान्वयन के फलस्वरूप उन्हें प्रोत्साहन के रूप में अनुमन्य किया जायेगा। अर्थात उपरोक्त कमेटी के अन्तर्गत योजना हेतु कलस्टर के कृषकों का नेतृत्व करने तथा क्षमता संवर्द्धन करने हेतु **Lead by example** एवं अन्य यथा आवश्यक गतिविधियों को सुनिश्चित करने हेतु सक्रिय रूप से सहयोग करने के दृष्टिगत प्रतिभागी कलस्टर को-ऑर्डिनेटर व कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन कृषकों को उपरोक्तानुसार परियोजना में मनोबल बनाये रखने हेतु उक्त प्रशासनिक मद की धनराशि प्रोत्साहन भत्ते के रूप में अनुमन्य की जायेगी।

10- **<u>कृषि विश्वविद्यालय एवं कृषि विज्ञान केन्द्र की सहभागिता</u>** **-** प्राकृतिक खेती विधा के सामायिक डाक्यूमेंटेशन एवं वैलिडेशन का दायित्व बांदा कृषि विश्वविद्यालय एवं बुन्देलखण्ड के जनपदों में स्थापित कृषि विज्ञान केन्द्र का होगा। कृषि विज्ञान केन्द्र के वैज्ञानिकों द्वारा भी कृषकों एवं रिसोर्स पर्सन के क्षमता विकास तथा ट्रेनिंग मॉडयूल विकसित करने में सहयोग प्रदान किया जायेगा। सीजन एवं एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अनुसार बुन्देलखण्ड क्षेत्र में ली जाने वाली फसलों की संस्तुति भी संबंधित कृषि विश्वविद्यालय एवं कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा किया जायेगा। स्थानीय स्तर पर योजनान्तर्गत रिसर्च एन्ड डेवलपमेंट के कार्यो हेतु ICAR संम्बद्ध संस्थान एवं राज्य कृषि विश्वविद्यालय उत्तरदायी होगे। ICAR एवं राज्य सरकार के संस्थानों को आवश्यकतानुसार योजना से जोड़ा जायेगा।

11- **<u>प्रत्येक कलस्टर हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था</u>-** चिन्हित प्रत्येक कलस्टर के कृषकों को आरंभिक 02 वर्षों में प्रशिक्षण दिया जायेगा। विकासखण्ड स्तर पर गठित समिति द्वारा प्रशिक्षण, एक्पोजर विजिट एवं कलस्टर गठन के कार्यो को सम्पादित किया जायेगा।

योजना के व्यावहारिक पहलुओं पर प्रशिक्षण किये जाने एवं कृषकों के क्षमता संवर्द्धन के उद्देश्य से प्रत्येक कलस्टर पर एक फारमर्स फिल्ड स्कूल का भी कार्यक्रम योजना के प्रथम वर्ष में आयोजित किया जायेगा। इस प्रकार फारमर्स फिल्ड स्कूल के माध्यम से भी स्थानीय स्तर पर प्रत्येक चयनित कलस्टर के कृषकों को प्रशिक्षित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

12- <u>प्रस्तावित योजना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य</u>-

<u>(i)जनपदवार एवं वर्षवार चयनित विकास खण्डों का विवरण</u>-

क्र0 सं0	जनपद	विकास खण्ड की संख्या	क्षेत्रफल हे0 में	कुल क्लस्टर की संख्या	वर्षवार चयनित क्लस्टर की संख्या	
					प्रथम वर्ष (2022-23)	द्वितीय बर्ष (2023-24)
1	झांसी	8	4000	80	40	40
2	ललितपुर	6	3000	60	30	30
3	जालौन	9	4500	90	45	45
4	बांदा	8	4000	80	40	40
5	चित्रकूट	5	2500	50	25	25
6	हमीरपुर	7	3500	70	35	35
7	महोबा	4	2000	40	20	20
योग-		**47**	**23500**	**470**	**235**	**235**

नोट - प्रत्येक विकास खण्ड में प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में 5-5 क्लस्टर (250 हे० क्षेत्रफल) गठित किये जायेंगे।

(ii) योजनान्तर्गत प्रति क्लस्टर (50 हेक्टेयर क्षेत्रफल) लागतः-

क्र0स0	कार्यमद	धनराशि (लाख रू0 में) 4 वर्षो हेतु
1	फार्मर्स फील्ड स्कूल	0.908
2	क्लस्टर के चैम्पियन फार्मर एवं कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन हेतु प्रोत्साहन धनराशि	2.400
3	क्लस्टर गठन तथा प्रारम्भिक प्रशिक्षण	0.250
4	कृषक प्रशिक्षण	0.300
5	कृषको को डी0बी0टी0 के माध्यम से प्रोत्साहन की धनराशि	7.500
6	प्रमाणीकरण	2.000
7	मृदा नमूना परीक्षण, स्थानीय स्तर पर रिर्सच एवं डेवलपमेन्ट, प्रचार-प्रसार तथा विपणन व्यवस्था	1.000
योग		**14.358**
प्रशासनिक प्रबन्धन @2%		0.287
महायोग		**14.645**

(iii) योजनान्तर्गत 05 वर्षों में कुल वित्तीय लक्ष्य रू० 6883.15 लाख है। वित्तीय लक्ष्य की प्रतिपूर्ति शतप्रतिशत राज्य वित्त पोषण से प्रस्तावित है। मदवार कार्ययोजना की लागत **संलग्नक-1** पर तथा जनपदवार वर्षवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य **संलग्नक-2** पर संलग्न है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(iv) प्रत्येक क्लस्टर की योजनावधि 4 वर्ष होगी। एक कृषक को अधिकतम 2 हे0 क्षेत्र के लिये अनुदान अनुमन्य होगा। समस्त भुगतान वित्तीय नियमों का पालन करते हुए आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी./ डी.बी.टी. के माध्यम से हस्तांतरित की जायेगी। कृषकों को देय भुगतान डी.बी.टी. के माध्यम से होगा। योजनान्तर्गत 2 प्रतिशत प्रशासनिक प्रबंधन के अन्तर्गत मात्राकृत धनराशि थर्ड पार्टी आंकलन, योजना के अनुश्रवण तथा स्टेट मिशन मैनेजमेन्ट पर व्यय किया जायेगा।

(v) योजनान्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 मे धनराशि रू0 577.190 लाख का वित्तीय लक्ष्य रखा गया है।

13- <u>प्रमाणीकरण</u>- योजनान्तर्गत प्राकृतिक उत्पाद का गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत की सहभागिता जैविक प्रतिभूति प्रणाली (पी0जी0एस0-इण्डिया) के दिशा निर्देशों में राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केन्द्र गाजियाबाद द्वारा इम्पैनल्ड रीजनल काउंसिल द्वारा किया जायेगा, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य जैविक खेती प्रमाणीकरण संस्था की भी सहभागिता होगी। प्रमाणीकरण कार्य 04 वर्षीय कार्यों पर आधारित होगा।

14- <u>विपणन व्यवस्था, प्रचार-प्रसार एवं मृदा परीक्षण</u> -प्राकृतिक खेती से जुड़े कृषकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती उनके उत्पाद का विपणन है। अत: कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार तभी सम्भव होगा जबकि उनके उत्पाद का प्रीमियम लागत पर विक्रय हो सके। क्लस्टर के कृषकों को विपणन व्यवस्था एवं प्रचार-प्रसार में राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केन्द्र, गाजियाबाद द्वारा इम्पैनल्ड सपोर्ट एजेन्सी द्वारा सहयोग प्रदान किया जायेगा।

योजना का प्रभाव मृदा परीक्षण के माध्यम से जीवांश कार्बन में वृद्धि के आंकलन से किया जायेगा, जिस हेतु योजना में द्वितीय एवं चतुर्थ वर्ष में मृदा नमूना एकत्रीकरण एवं परीक्षण किया जायेगा।

15- <u>योजना का लाभ</u>-

(i) जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव के दृष्टिगत कृषि उत्पादन में स्थायित्व लाना।
(ii) मृदा की उर्वरा शक्ति तथा जीवांश कार्बन में बढ़ोत्तरी करना।
(iii) इनपुट लागत में कमी तथा प्राकृतिक उत्पाद का प्रीमियम लागत प्राप्त कर कृषकों के आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाना।
(iv) रसायन एवं पेस्टीसाइड मुक्त खाद्य उत्पाद प्राप्त करना।
(v) बुन्देलखण्ड में छुट्टा गोवंश की समस्या के समाधान में सहायक होना।
(vi) योजना में स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन होगा।
(vii) रसायनिक उर्वरक के उपभोग में कमी से विदेशी मुद्रा की बचत।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

16- बुन्देलखण्ड के सात जनपदों के सभी विकास खण्डों में प्राकृतिक खेती की योजना के क्रियान्वयन पर होने वाला व्यय संबंधित वित्तीय वर्षों में किये जाने वाले बजट प्राविधान की सीमान्तर्गत रहेगा।

17- बुन्देलखण्ड के सात जनपदों के सभी विकास खण्डों में प्राकृतिक खेती की योजनान्तर्गत बुन्देलखण्ड क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह/एफ.पी.ओ. व प्राकृतिक खेती करने वाले अनुभवी कृषकों का सहयोग प्राप्त किया जायेगा तथा प्राकृतिक कृषि करने वाले किसानों तक जानकारी को आसानी से पहुंचाने हेतु आवश्यक कृषि विधियों/प्रक्रियाओं का एक ई-प्लेट-फार्म भी तैयार किया जायेगा।

18- बुन्देलखण्ड के सात जनपदों के सभी विकास खण्डों में प्राकृतिक खेती की योजनान्तर्गत चयनित पशुपालकों को निराश्रित गोवंश स्थलों से एक गोपालक नियमानुसार अधिकतम चार गोवंश गोद लेने की स्वतंत्रता है।

19- कृषि विश्वविद्यालयों पर आयोजित किए जाने वाले किसान मेलों में प्राकृतिक खेती के संबंध में राज्य स्तरीय प्रशिक्षण भी कराया जा सकता है।

कृपया तद्नुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,
डा० देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नियोजन/वित्त/न्याय/कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान/पशुधन विभाग, उ०प्र० शासन।
3. महालेखाकार, उ०प्र० प्रयागराज।
4. निदेशक, सूचना विभाग, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक उ०प्र०, कृषि भवन, लखनऊ।
5. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक उ०प्र०, कृषि भवन, लखनऊ।
6. अपर कृषि निदेशक, भूमि संरक्षण, उ०प्र०, लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।
8. समस्त मण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक/उप कृषि निदेशक/भूमि संरक्षण अधिकारी/जिला कृषि अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक उ०प्र०, कृषि भवन, लखनऊ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राजेन्द्र सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संलग्नक - 1

बुन्देलखण्ड के सभी जनपदों में प्राकृतिक खेती के कियान्वयन की कार्ययोजना (23500 हे0 क्षेत्रफल)

(वित्तीय लाख रु0 में)

कम0 सं0	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम वर्ष (2022–23)		द्वितीय वर्ष (2023–24)		तृतीय वर्ष (2024–25)		चतुर्थ वर्ष (2025–26)		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	फील्ड फार्मर स्कूल संगठन (FFS Organization) की स्थापना पर व्यय रू0 30800 प्रति FFS (प्रति 50 हे0 क्षत्र में 1 FFS)	हेक्टेयर	1816	23500	426.760	0	0	0	0	0	0	23500	426.760
2	क्लस्टर स्तरीय चैम्पियन कृषक एवं कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन कृषक को प्रशासनिक रूप से प्रोत्साहन मद में उपलब्ध कराई जाने वाली वार्षिक धनराशि (रू0 3000 प्रति माह) एवं एक कम्यूनिटी रिसोर्स पर्सन (रू0 2000 प्रति माह) की दर से 50 हे0 हेतु रू0 0.60 लाख प्रतिवर्ष (चार साल के लिये कुल रू0 2.40 लाख प्रति 50 हे0)	हेक्टेयर	60000	23500	282.000	23500	282.000	23500	282.000	23500	282.000	94000	1128.000
3	ब्लाक स्तरीय कार्यान्वयन समिति आत्मा–बीटीए द्वारा क्लस्टर गतिविधियों का प्रारम्भिक प्रशिक्षण, एक्सपोजर विजिट एवं मानीटरिंग 0.25 लाख प्रति 50 हे0 प्रथम वर्ष हेतु	हेक्टेयर	500	23500	117.500	0	0	0	0	0	0	23500	117.500
4	स्थानीय रूप से कृषक प्रशिक्षण तथा प्रगति समीक्षा (6 प्रशिक्षण प्रतिवर्ष प्रति 50 कृषक हेतु) रू0 50 प्रति कृषक प्रथम 2 वर्षो हेतु	हेक्टेयर	600	23500	70.500	23500	70.500	0	0	0	0	47000	141.000
5	इनपुट इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिये डी0बी0टी0 के रूप में किसानों को सहायता रू0 15000 प्रति हे0 50 हेक्टेयर हेतु कुल रू0 7.50 लाख तीन वर्षों हेतु												
5.1	देशी बीज प्रबन्धन@Rs3600.00/हेक्टेयर /तीन वर्ष(रु0 1200.00/हेक्टेयर/वर्ष)	हेक्टेयर	3600	0	0	23500	282.000	23500	282.000	23500	282.000	70500	846.000
5.2	आन फार्म इनपुट तथा फसल सुरक्षा प्रबन्धन के अन्तर्गत पारम्परिक इनपुट उत्पादन इकाई की स्थापना (ड्रम, बाल्टी, मग्गा, छनना, मैनुअल/पावर आपरेटेड स्प्रेयर मशीन आदि की व्यवस्था)@Rs 6000.00 प्रति हेक्टेयर प्रथम वर्ष में	हेक्टेयर	6000	0	0	23500	1410.000	0	0	0	0	23500	1410.000
5.3	हरी खाद(ग्रीन मैन्योरिंग) प्रबंधन @Rs 3600.00/ हेक्टेयर/ तीन वर्ष(रु0 1200.00/हेक्टेयर/वर्ष)	हेक्टेयर	3600	0	0	23500	282.000	23500	282.000	23500	282.000	70500	846.000
5.4	प्राकृतिक खेती में लैण्ड का कन्वर्जन@Rs 1000.00/ हेक्टेयर द्वितीय वर्ष में	हेक्टेयर	1000	0	0	23500	235.000	0	0	0	0	23500	235.000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

क्रम0 सं0	कार्यमद	भौतिक इकाई	लागत प्रति इकाई	प्रथम वर्ष (2022–23)		द्वितीय वर्ष (2023–24)		तृतीय वर्ष (2024–25)		चतुर्थ वर्ष (2025–26)		कुल योग	
				भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.5	स्थानीय प्राकृतिक पेस्ट कन्ट्रोल जैसे नीम आयल/नीम केक आदि (दो वर्षों हेतु द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में)	हेक्टेयर	800	0	0	23500	94.000	23500	94.000	0	0	47000	188.000
6	किसानों का पंजीकरण और प्रमाणीकरण रू0 1000 प्रति हे0 प्रतिवर्ष रू0 2.00 लाख प्रति 50 हे0 4 वर्ष हेतु												
6.1	कृषकों के विवरण का अभिलेखीकरण एवं डाटा प्रबन्धन कार्य (प्रथम एवं द्वितीय वर्ष हेतु रू0 300 प्रति हे0)	हेक्टेयर	300	23500	70.500	23500	70.500	0	0	0	0	47000	141.000
6.2	पी0जी0एस0 एवं टिजनल काउंसिल को सर्विस चार्जेज @Rs 1000 प्रति हेक्टेयर चार वर्षों के लिए (रू0 1000 प्रति हे0 प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में एवं रू0 700.00 प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष तृतीय एवं चतुर्थ वर्षों हेतु वर्षों हेतु)	हेक्टेयर	700	23500	164.500	23500	164.500	23500	164.500	23500	164.500	94000	658.000
6.3	रेजडयू एनालिसिस @ 3 मृदा नमूना/100 हेक्टेयर क्लेक्शन/वर्ष, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष के लिए (रू0 10000.00 प्रति नमूना)	हेक्टेयर	300	0	0	0	0	23500	70.500	23500	70.500	47000	141.000
7	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट के साथ मुद्रा स्वास्थ्य ट्रैकिंग तथा ICAR एवं SAUs के माध्यम से स्थानीय समर्थन रू0 2000 प्रति हे0												
7.1	प्रचार प्रसार एवं मार्केटिंग डेवलपमेंट द्वितीय वर्ष में रू0 467 प्रति हे0 तथा तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष में रू0 400 प्रति हे0	हेक्टेयर	1267	0	0	23500	109.745	23500	94.000	23500	94.000	70500	297.745
7.2	ICAR एवं कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से स्थानीय रिसर्च एवं डेवलपमेंट (रू0 100 प्रति हे0 द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष हेतु)	हेक्टेयर	300	0	0	23500	23.500	23500	23.500	23500	23.500	70500	70.500
7.3	मृदा स्वास्थ्य हेतु मृदा नमूने का परीक्षण (@Rs 216.5/ प्रति मृदा नमूना/कृषक (प्रति 02 हे0 01 नमूना द्वितीय एवं चतुर्थ वर्ष में)	हेक्टेयर	433	0	0	23500	50.878	0	0	23500	50.878	47000	101.755
	योग– (ब)				1131.760		3074.623		1292.500		1249.378		6748.260
	प्रशासनिक प्रबंधन कुल लागत का 2%				22.620		61.480		25.840		24.950		134.890
	महायोग				1154.380		3136.103		1318.340		1274.328		6883.150

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक-2

बुन्देलखण्ड के सभी जनपदों में प्राकृतिक खेती की कार्ययोजना (23500 हे0 क्षेत्रफल)

वर्ष – 2022-23 to 2026-27

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0सं0	जनपद का नाम	कृषि योग्य क्षेत्रफल हे0 में	विकास खण्ड की	क्षेत्रफल हे0 में	क्लस्टर की सं0	प्रथम वर्ष 2022–23	द्वितीय वर्ष 2023–24	तृतीय वर्ष 2024–25	चतुर्थ वर्ष 2025–26	पंचम वर्ष 2026–27	योग	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	झांसी	311834	8	4000	80	96.320	357.990	371.670	216.330	106.330	1148.640	
2	जालौन	344623	9	4500	90	108.360	402.739	418.129	243.371	119.621	1292.220	
3	ललितपुर	296477	6	3000	60	72.240	268.493	278.753	162.248	79.748	861.480	
4	चित्रकूट	173802	5	2500	50	60.200	223.744	232.294	135.206	66.456	717.900	
5	बांदा	349259	8	4000	80	96.320	357.990	371.670	216.330	106.330	1148.640	
6	हमीरपुर	299103	7	3500	70	84.280	313.241	325.211	189.289	93.039	1005.060	
7	महोबा	236239	4	2000	40	48.160	178.995	185.835	108.165	53.165	574.320	
		2011337	**47**	**23500**	**470**	**565.880**	**2103.191**	**2183.561**	**1270.939**	**624.689**	**6748.260**	
	परियोजना प्रबन्धन एवं प्रशासकीय व्यय **@2%** -					11.310	42.050	43.650	25.400	12.480	134.890	
	महायोग -					**577.190**	**2145.241**	**2227.211**	**1296.339**	**637.169**	**6883.150**	

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।